भाग-III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 मई, 2010

संख्या का०आ० 73/के०अ० 74/1956/धा० 8/2010.—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 74), की धारा 8 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बारे में संतुष्ट होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा, निदेश देते हैं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पानीपत के नैप्था क्रैकर काम्प्लेक्स में तैयार माल के सम्बन्ध में किसी पंजीकृत व्यवहारी को आन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के सिलसिले में, भुगतान योग्य कर, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि से सात वर्ष की अवधि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) के अधीन यथाविहित प्ररूप 'ग' में घोषणा प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए, जहां तक आवर्त या उसका कोई भाग ऐसे विक्रयों से सम्बन्धित है, उसके आवर्त के आधा प्रतिशत की दर पर तथा इसके बाद अगली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक प्रतिशत की दर पर संगणित किया जाएगा।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।